

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 145] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 4, 2016/फाल्गुन 14, 1937 No. 145] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 4, 2016/PHALGUNA 14, 1937

### वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2016

# सं. 37/2016 - सीमा शुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 277(अ).—सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 5 की उपधारा (1), सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के साथ पठित, के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा:—

- **1**. **लघु शीर्ष और प्रारंभ**.– (1) इन नियमों को भारत-आसियान माल व्यापार करार (रक्षोपाय) नियमावली, 2016 कहा जाएगा।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होंगे।
- 2. परिभाषाएं.- (1) इस नियमावली में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
  - (क) "अधिनियम" का अभिप्राय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) से है;
  - (ख) "संकटकालीन परिस्थितियां" से अभिप्राय ऐसी परिस्थितियों से हैं जिनमें यह बात स्पष्ट है कि बढ़ते हुए आयात से घरेलू उद्योग को गम्भीर क्षति पहुंची है या गम्भीर क्षति पहुंचने का खतरा पैदा हो गया है और जहां रक्षोपाय से संबंधित प्रावधानों को लागू करने में विलम्ब होने से घरेलू उद्योग को अपूरणीय क्षति हो सकती है;
  - (ग) "महानिदेशक" से अभिप्राय महानिदेशक (रक्षोपाय) से है जिसकी नियुक्ति सीमा शुल्क टैरिफ (सुरक्षा शुल्क की पहचान और निर्धारण) नियम, 1997 के नियम 3 के उपनियम (1) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा की गई हो;
  - (घ) "घरेलू उद्योग" से अभिप्राय ऐसे उत्पादकों से है -

1114 GI/2016

- (i) जो कि इसी प्रकार की वस्तुओं या प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धात्मक वस्तुओं का भारत में उत्पादन करते हैं; या
- (ii) जिनके द्वारा भारत में उत्पादित इसी प्रकार की वस्तुओं या प्रतिस्पर्धात्मक वस्तुओं का हिस्सा भारत में उक्त वस्तुओं के कुल उत्पादन में काफी अधिक है;
- (ड.) "वस्तुओं" से अभिप्राय सामग्री या उत्पाद से है;
- (च) "बढ़े हुए आयात" के अंतर्गत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ के सदस्य राज्यों से होने वाले आयात में हुई वृद्धि आती है चाहे ये निरपेक्ष रूप से या घरेलू उत्पादन के सापेक्ष रूप में हों;
- (छ) "इच्छुक पक्षकार" में,-
  - (i) ऐसा कोई निर्यातक या उत्पादक जो कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ के सदस्य राज्य से हो या ऐसे माल का आयातकर्ता जो कि रक्षोपाय के लिए जांच के अधीन हो, या व्यापार या व्यापारिक संघ आते हैं जिनके बहुसंख्यक सदस्य ऐसे माल के उत्पादक, निर्यातक या आयातकर्ता हों;
  - (ii) दक्षिण पूर्व एशियाई राज्य संघ के सदस्य राज्य की सरकारें आती हैं; और
  - (iii) भारत में ऐसी ही वस्तुओं या प्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार की प्रतिस्पर्धात्मक वस्तुओं के उत्पादक आते हैं जिनके बहुसंख्यक सदस्य भारत में इसी प्रकार की वस्तुओं या प्रत्यक्ष रूप से इसकी प्रतिस्पर्धात्मक वस्तुओं का उत्पादन या व्यापार करते हैं;
- (ज) "इसी प्रकार की वस्तुओं" से अभिप्राय ऐसी वस्तुओं से है जो कि जांच की अधीन वस्तुओं के हर प्रकार से सादृश्य हो या उसी की तरह हो;
- (झ) "दक्षिण पूर्व एशियाई राज्यों के संघ के सदस्य राज्य" से अभिप्राय ऐसे देश से है जो भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 189/2009-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 31 दिसम्बर, 2009, जिसे सा.का.नि. 937 (अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 के तहत प्रकाशित किया गया था और जिसमें समय-समय पर संशोधन किया गया है, के अनुबंध IV में उल्लिखित हैं;
- (ञ) "गम्भीर क्षति" से अभिप्राय घरेलू उद्योग के खास तथा सकल नुकसान से है;
- (ट) "गम्भीर क्षित के खतरे" से अभिप्राय गम्भीर क्षित के ऐसे तात्कालिक खतरे से है जो कि तथ्यों पर आधारित हों न कि आरोप, अटकलबाजी या दूरवर्ती सम्भावना पर आधारित हों; और
- (ठ) "व्यापार करार" से अभिप्राय 'भारत गणराज्य और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से संघ के बीच होने वाले बृहद आर्थिक सहयोग संबंधी ढांचागत करार के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के व्यापार करार' से है।
- (2) ऐसे शब्द और अभिव्यक्ति, जो कि यहां प्रयोग किए गए हैं लेकिन जिनको परिभाषित नहीं किए गए हैं, परन्तु जो सीमा शुल्ट टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) में परिभाषित किए गए हैं, का क्रमश: वही अभिप्राय होगा जो कि उनके लिए उन अधिनियमों में दिया गया है।
- 3. महानिदेशक के कर्तव्य.- इन नियमों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए महानिदेशक का कर्तव्य होगा, -
  - (क) इस करार के अनुसार भारत में हो रहे वस्तुओं के बढ़ते हुए आयात के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को होने वाली गम्भीर क्षति या गम्भीर क्षति के खतरे की जांच करना;
  - (ख) उन वस्तुओं की पहचान करना जिन पर रक्षोपाय लागू होते हों;
  - (ग) केन्द्र सरकार के पास अपने निष्कर्षों को, अनंतिम रूप से या अन्य प्रकार से, प्रस्तुत करना कि क्या इस करार के अंतर्गत टैरिफ में रिआयत दिए जाने के कारण दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ के एक या एक से अधिक सदस्य

राज्यों से हो रहे वस्तुओं के बढ़ते आयात के कारण घरेलू उद्योग को गम्भीर क्षति हो रही है या होने का खतरा है;

- (घ) ऐसे रक्षोपायों की सिफारिश करना जिनको यदि अपनाया जाए तो गम्भीर क्षति को पर्याप्त रूप से रोका या उसका उपचार किया जा सकता है और यथोचित रूप से समायोजित किया जा सकता है;
- (ड.) ऐसे रक्षोपायों की अवधि के बारे में सिफारिश करना और जहां एक साल से अधिक की अवधि के लिए इनकी सिफारिश की गई हो, ऐसे प्रगामी उदारीकरण की भी सिफारिश करना जो कि समायोजन किए जाने की दृष्टि से पर्यापत होंगे:
- (च) रक्षोपायों को जारी रखने की जरूरत पर विचार करना।
- **4. जांच का प्रारंभ.** (1) उप-नियम (4) में दिए गए प्रावधान को छोड़कर, महानिदेशक इस प्रकार की वस्तुओं या प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा वाली वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों से या उनकी ओर से प्राप्त होने वाले लिखित आवेदन पर यह निर्धारित करने के लिए जांच करेगा कि क्या इस टैरिफ करार के अंतर्गत दिए जाने वाले टैरिफ रिआयत के कारण वस्तुओं के बढ़े आयात से घरेलू उद्योगों को गम्भीर क्षति हुई है या गम्भीर क्षति का खतरा पैदा हुआ है।
- (2) उप-नियम (1) के अंतर्गत कोई भी आवेदन उस प्रारूप में किया जाएगा जिसे महानिदेशक अपनी ओर से विनिर्दिष्ट करे और ऐसे आवेदन के साथ संलग्न होगा, –
  - (क) निम्न के बारे में प्रमाण
    - (i) बढ़ा हुआ आयात;
    - (ii) घरेलू उद्योग को होने वाली गम्भीर क्षति या गम्भीर क्षति का खतरा;
    - (iii) आयात और तथाकथित गम्भीर क्षति या गम्भीर क्षति के खतरे के बीच हेतुक संबंध;
    - (iv) व्यापार करार के अंतर्गत सीमा शुल्क में की गई कटौती या उसे समाप्त किया जाना जिसके कारण आयात बढ़ा हो और इस प्रकार बढ़े हुए आयात मात्र के कारण घरेलू उद्योग को काफी क्षति पहुंची हो:

बशर्ते कि इस व्यापार करार के अंतर्गत सीमा शुल्क में की गई कटौती या उसको समाप्त किए जाने के कारण के बारे में यह जरूरी नहीं है कि यह अन्य किसी कारण के बराबर या उससे बड़ा है; और

- (ख) आयात प्रतिस्पर्धा में समायोजन करने के लिए किए जा रहे प्रयासों या किए जाने के लिए नियोजित प्रयासों का विवरण।
- (3) महानिदेशक उप-नियम (1) के अंतर्गत दिए गए आवेदन पर तब तक कोई जांच कार्य शुरू नहीं करेगा जब तक कि वह आवेदन में दिए गए साक्ष्यों की शुद्धता और पर्याप्तता की जांच नहीं कर लेता है और इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाता है कि इसमें निम्नलिखित के बारे में पर्याप्त साक्ष्य हैं-
  - (क) बढ़ा हुआ आयात;
  - (ख) गम्भीर क्षति या गम्भीर क्षति का खतरा:
  - (ग) आयात और तथा कथित गम्भीर क्षति या गम्भीर क्षति के बीच कोई हेतुक संबंध; और
  - (घ) व्यापार करार के अंतर्गत सीमा शुल्क में की गई कटौती या उसको समाप्त किए जाने के कारण आयात में होने वाली पर्याप्त बढ़ोत्तरी और आयात में ऐसी बढ़ोत्तरी के कारण मात्र से घरेलू उद्योग को होने वाले गम्भीर क्षति:

बशर्ते कि, कोई जरूरी नहीं है कि व्यपार करार के अंतर्गत सीमा शुल्क में की गई कटौती या इसको समाप्त किए जाने का जो कारण है वह अन्य किसी कारण के बराबर ही हो या उससे अधिक हो।

- (4) उप-नियम (1) में निहित किन्हीं भी बात के बावजूद महानिदेशक सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत नियुक्त किए गए किसी सीमा शुल्क आयुक्त से अथवा अन्य स्नोतों से प्राप्त सूचना के आधार पर इस बात से संतुष्ट होता है कि उपनियम (3) के उपवाक्य (क), उपवाक्य (ख), उपवाक्य (ग) और उपवाक्य (घ) में संदर्भित साक्ष्य पर्याप्त हैं तो वह अपनी ओर से जांच कार्य शुरू कर सकता है।
- 5. जांच से संबंधित सिद्धांत.- (1) महानिदेशक व्यापार करार के अंतर्गत टैरिफ रिआयत दिए जाने के कारण भारत में आयात के बढ़ जाने के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई गम्भीर क्षिति या क्षिति के खतरे का आकलन करने के लिए निर्णय लेने के बाद अपने इस निर्णय की एक सार्वजनिक सूचना जारी करेगा और इस सूचना में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के बारे में पर्याप्त जानकारी होगी :-
  - (क) निर्यात करने वाले देशों और इनमें निहित वस्तुओं के नाम;
  - (ख) जांच कार्य के शुरू किए जाने की तारीख;
  - (ग) उन तथ्यों का एक संक्षिप्त विवरण जिनके आधार पर गम्भीर क्षति या गम्भीर क्षति के खतरे की बात कही गई है;
  - (घ) जांच को शुरू किए जाने के कारण;
  - (ड.) वह पता जहां कि इच्छुक पक्षकारों के अभ्यावेदनों को भेजा जाना है; और
  - (च) 🛾 इच्छुक पक्षकारों को यथोचित माध्यमों के द्वारा अपने विचार को व्यक्त करने के लिए दी गई समय-सीमा।
- (2) महा निदेशक इस सार्वजनिक सूचना की एक प्रति निम्नलिखित को अग्रसारित करेगा -
  - (क) केन्द्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालय जिसको वह उचित समझे;
  - (ख) वस्तुओं के अभिज्ञात निर्यातक जिनके बढ़े हुए निर्यात के कारण घरेलू उद्योग को गम्भीर क्षति होने या क्षति होने का खतरा पैदा होने की बात कही गई है;
  - (ग) निर्यातकर्ता राज्य की और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन के सभी सदस्य देशों की सरकारें; और
  - (घ) अन्य इच्छुक पक्षकार जिसको वह उचित समझे।
- (3) महानिदेशक नियम 4 के उप-नियम (2) में संदर्भित आवेदन की एक प्रति निम्नलिखित को भी उपलब्ध कराएंगे -
  - (क) ज्ञात निर्यातकर्ता या संबंधित व्यापारिक संगठन;
  - (ख) निर्यात करने वाले राज्य की या दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ के सदस्य राज्यों की सभी सरकारों को; और
  - (ग) केन्द्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय:

बशर्ते कि, महानिदेशक अन्य किसी भी इच्छुक पक्षकार को उसके लिखित अनुरोध पर ही ऐसे आवेदन की प्रति उपलब्ध कराएगा।

(4) महानिदेशक एक नोटिस जारी करके निर्यातकर्ताओं, विदेशी उत्पादकों या दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ के सदस्य राज्यों की सरकारों से ऐसे प्रारूप में, जिसे वह विनिर्दिष्ट करे, कोई सूचना मांग सकता है और ऐसी सूचना को ऐसे व्यक्तियों या सरकारों द्वारा ऐसी नोटिस को प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर या उस बढ़ाई गई अविध के भीतर, जिसकों कि महानिदेशक पर्याप्त कारण बताते हुए विनिर्दिष्ट करे, प्रस्तुत करना होगा।

स्पष्टीकरण.- इस नियम के प्रयोजन के लिए सार्वजनिक सूचना या अन्य दस्तावेजों के लिए यह माना जाएगा कि ये उस तारीख के एक हफ्ते बाद प्राप्त हो गई हैं जिस तारीख को महानिदेशक ने ऐसे दस्तावेजों को पंजीकृत डाक से या निर्यातकर्ता देश के यथोचित राजनयिक प्रतिनिधि के माध्यम से भेजा है।

- (5) महानिदेशक जांच के अधीन रहने वाले वस्तुओं के औद्योगिक उपयोगकर्ताओं को और ऐसे मामलों में जहां कि इन वस्तुओं को खुदरा तौर पर सामान्य रूप से बेचा गया है, प्रतिनिधि उपभोक्ता संगठनों को ऐसा अवसर दे सकता है कि इस जांच से संबंधित कोई संगत जानकारी है तो वे उसे दे सकते हैं।
- (6) महानिदेशक इच्छुक पक्षकारों या इनके प्रतिनिधि को ऐसी जांच से संबंधित कोई सुसंगत जानकारी को मौखिक रूप से देने के लिए अनुमित दे सकता है, लेकिन ऐसी मौखिक जानकारी पर महानिदेशक तभी विचार करेगा जब इनको बाद में लिखित रूप में प्रस्तत किया जाएगा।
- (7) महानिदेशक एक पक्षकार द्वारा उसको प्रस्तुत किए गए सार को ऐसे दूसरे पक्षकार को उपलब्ध कराएगा जो कि इस जांच में भाग ले रहे हों।
- (8) यदि कोई इच्छुक पक्षकार कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया है या महानिदेशक के द्वारा निर्धारित अविध के भीतर नहीं देता है या जांच में खास तौर से अवरोध पैदा करता है तो महानिदेशक अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को दर्ज कर सकता है और केन्द्र सरकार को इस प्रकार की सिफारिश कर सकता है जिसे वह ऐसी परिस्थितियों में उचित समझे।
- (9) इन नियमों के अंगर्तत आने वाले रक्षोपाय ऐसी किसी वस्तुओं पर जो कि मूलत: दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ के सदस्य राज्यों के भू क्षेत्र में उत्पादित किए गए हों तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि ऐसे संबंधित वस्तुओं के भारत में होने वाले आयात का हिस्सा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ के अन्य सदस्य राज्यों से होने वाले ऐसी वस्तुओं के कुल आयात के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं हो।
- 6. गोपनीय सूचना.— (1) नियम 5 के उप-नियम (1), (3) और (7), नियम 8 के उप-नियम (2) और नियम 10 के उप-नियम (5) में निहित किन्हीं भी बातों के बावजूद ऐसी कोई सूचना जो कि गोपनीय प्रकृति की है या जिसे गोपनीय आधार पर प्रदान किया गया है, कारण बताते हुए महानिदेशक द्वारा उसे गोपनीय समझा जाएगा और उसे ऐसी सूचना को प्रदान करने वाले पक्षकार के द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किए जाने बिना घोषित नहीं किया जाएगा।
- (2) महानिदेशक गोपनीयता के आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों से यह कह सकता है कि वे इनका गैर गोपनीय सार प्रस्तुत करें और यदि ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों की राय में ऐसी सूचना को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है तो ऐसे पक्षकार महानिदेशक को यह विवरण देंगे कि ऐसी जानकारी को संक्षेप में प्रस्तुत करना संभव क्यों नहीं है।
- (3) उप-नियम (2) में निहित किसी भी बात के बावजूद, यदि महानिदेशक इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता के अनुरोध की जरूरत नहीं है या जानकारी को प्रदान करने वाला इस बात से अनिच्छुक है कि उक्त जानकारी को सार्वजनिक किया जाए या इसको सार्वजनिक करने के लिए सामान्य रूप से या इसको संक्षेप रूप में सार्वजनिक करने के लिए प्राधिकृत करता है तो वह ऐसी जानकारी को नजरअंदाज कर सकता है, बशर्ते कि उसको यथोचित स्रोतों से इस बात से संतुष्ट नहीं कर दिया जाता है कि ऐसी जानकारी सही है।
- 7. गम्भीर क्षिति या गम्भीर क्षिति के खतरे का निर्धारण.— महानिदेशक घरेलू उद्योग को होने वाली गम्भीर क्षिति या गम्भीर क्षिति के खतरे का निर्धारण करते समय अन्य बातों के साथ-साथ निम्निलिखित सिद्धांतों पर विचार करेगा :-
  - (क) महानिदेशक उन सभी कारकों का वास्तविक और परिणात्मक रूप से मूल्यांकन करेगा जिनका कि उद्योगों की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है विशेष रूप से जैसे कि, संबंधित वस्तुओं के, निरपेक्ष या तुलनात्मक रूप से, आयात में हुई वृद्धि की दर और प्रमात्रा, बढ़े हुए आयात का घरेलू बाजार में हिस्सा, बिक्री, उत्पादन, उत्पादकता, क्षमता उपयोग, लाभ और हानि, तथा रोजगार में आया परिवर्तन; और
  - (ख) उपवाक्य (क) में संदर्भित निर्धारण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि जांच से यह नहीं पता चलता है कि, वास्तविक साक्ष्यों के आधार पर, कि व्यापार करार के अंतर्गत संबंधित वस्तुओं के बढ़े हुए आयात और गम्भीर क्षिति या उसके खतरे के बीच कोई हेतुक संबंध है और जब बढ़े हुए आयात के अलावा अन्य किसी कारकों से घरेलू उद्योग को उसी समय क्षित हो रही हो तो ऐसी क्षित के लिए बढ़े हुए आयात को कारण नहीं माना जाएगा।

- 8. प्रारम्भिक निष्कर्ष.— (1) महानिदेशक जांच के संबंध में तेजी से कार्रवाई करेगा और संकटकालीन परिस्थितियों में वह गम्भीर क्षति वा गम्भीर क्षति के खतरे के बारे में प्राप्त प्रारम्भिक निष्कर्षों को दर्ज करेगा।
- (2) महानिदेशक अपने प्रारम्भिक निष्कर्षों के बारे में सार्वजनिक सूचना जारी करेगा और इस सार्वजनिक सूचना की एक प्रति निम्नलिखित को भी भेजेगा -
  - (क) केन्द्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय;
  - (ख) निर्यात करने वाले राज्य और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के सदस्य राज्यों की सरकारें।
- 9. अनंतिम रक्षोपाय उपायों से संबंधित आवेदन.- (1) केन्द्र सरकार महानिदेशक के प्रारम्भिक निष्कर्षों के आधार पर -
  - (क) व्यापार करार के अंतर्गत ऐसी वस्तुओं पर लगने वाले सीमा शुल्क की दर में की जाने वाली और कटौती को स्थिगित कर सकती है; या
  - (ख) संबंधित वस्तुओं पर लगने वाले सीमा शुल्क की दर में उस स्तर तक बढ़ोत्तरी कर सकती है जो कि, उस समय जबिक रक्षोपाय उपायों को लागू किया जाता है, अत्यन्त वरीयता प्राप्त राष्ट्रों पर लागू दर, तथा इस व्यापार करार के लागू होने की तारीख से तत्काल पूर्व अत्यन्त वरीयता प्राप्त राष्ट्रों के मामले में लागू दर में से निम्न दर से अधिक न हो।
- (2) उप-नियम (1) के अंतर्गत अपनाए जाने वाले रक्षोपाय इनको लागू किए जाने की तारीख से दो सौ दिनों से अधिक अवधि के लिए लागू नहीं होंगे।
- **10.** अंतिम निष्कर्ष.— (1) महानिदेशक ऐसी जांच के प्रारम्भ की तारीख से आठ महीने के भीतर, या ऐसी बढ़ाई हुई अवधि के भीतर, जिसके लिए केन्द्र सरकार अनुमित दे, यह निर्धारण करेगा कि क्या,-
  - (क) जांच के अधीन वस्तुओं के बढ़े हुए आयात के कारण घरेलू उद्योग को गम्भीर क्षति हुई है या गम्भीर क्षति का खतरा पैदा हुआ है, और
  - (ख) इस व्यापार करार के अंतर्गत दी जाने वाली टैरिफ रिआयत के कारण बढ़े हुए आयात और घरेलू उद्योग को होने वाली गम्भीर क्षति या गम्भीर क्षति के खतरे के बीच कोई हेतुक संबंध है।
- (2) महानिदेशक रक्षोपायों के बारे में ऐसी भी सिफारिश करेगा जो कि गम्भीर क्षति को रोकने या इसका उपचार करने या समायोजन में सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से पर्याप्त हों।
- (3) महानिदेशक रक्षोपायों की अवधि के बारे में भी अपनी सिफारिशें देगा :
  - बशर्ते कि जहां कि इस प्रकार की सिफारिश की गई अवधि एक वर्ष से अधिक होगी वहां महानिदेशक ऐसे प्रगामी उदारीकरण की भी सिफारिश करेगा जो कि समायोजन किए जाने की दृष्टि से पर्याप्त होंगे।
- (4) अंतिम निष्कर्ष, यदि सकारात्मक हैं तो, में तथ्यों और उनसे संबंधित विधियों और कारणों के बारे में जानकारी निहित होगी जिनके कारण इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है।
- (5) महानिदेशक अंतिम निष्कर्षों को एक सार्वजनिक सूचना के रूप में जारी करेगा।
- (6) महानिदेशक अपने अंतिम निष्कर्षों से संबंधित सार्वजनिक सूचना की एक प्रति निम्नलिखित के पास भी भेजेगा -
  - (क) केन्द्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय;
  - (ख) निर्यातकर्ता राज्य की सरकारें और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ के सदस्य राज्यों की सरकारें।
- **11. रक्षोपाय के लिए आवेदन.** (1) महानिदेशक की सिफारिश प्राप्त होने पर, अंतिम निष्कर्षों के अंतर्गत आने वाले वस्तुओं के संबंध में गम्भीर क्षति को रोकने या उसका उपचार करने या समायोजन करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार, व्यापार करार के

प्रावधानों को लागू करने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में यथोचित संशोधन करेगा, जिससे कि -

- (क) व्यापार करार के अंतर्गत ऐसी वस्तुओं पर लगने वाले सीमा शुल्क की दर में की जाने वाली और कटौती को स्थिगित कर सके; या
- (ख) संबंधित वस्तुओं पर लगने वाले सीमा शुल्क की दर में उस स्तर तक बढ़ोत्तरी कर सके जो कि, उस समय जबिक रक्षोपाय उपायों को लागू किया जाता है, अत्यन्त वरीयता प्राप्त राष्ट्रों पर लागू दर, तथा इस व्यापार करार के लागू होने की तारीख से तत्काल पूर्व अत्यन्त वरीयता प्राप्त राष्ट्रों के मामले में लागू दर में से निम्न दर से अधिक न हो।
- (2) इस नियमावली के अंतर्गत उन वस्तुओं पर कोई रक्षोपाय नहीं लागू होंगे जिन पर कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8ख की उप-धारा (1) के अनुपालन में कार्रवाई की जा रही है और यदि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 8ख की उप-धारा (1) के अंतर्गत किसी वस्तु के बारे में रक्षोपाय शुल्क लागू किए जा रहे हैं, तो ऐसी वस्तुओं के संबंध में इन नियमों के अंतर्गत लागू किए गए वर्तमान रक्षोपाय, यदि कोई हों, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8ख की उप-धारा (1) के अनुपालन में कार्रवाई किए जाने के पहले समाप्त कर दिए जाएंगे।
- (3) यदि महानिदेशक के अंतिम निष्कर्ष प्रथम दृष्टतया साक्ष्य जिसके आधार पर अन्वेषण शुरू किया गया था, के विपरीत हैं तथा अंतिम निष्कर्ष में रक्षोपाय लागू करने की सिफारिश नहीं की गई है तो केन्द्र सरकार महानिदेशक द्वारा दिए गए अंतिम निष्कर्षों के प्रकाशन के तीस दिन के भीतर नियम 10 के अंतर्गत लगाए गए अनंतिम रक्षोपाय, यदि कोई हो, को वापस लेगी।
- **12. गैर-भेदभाव आधार पर रक्षोपायों का लागू किया जाना.-** नियम 5 के उप-नियम (9) के प्रावधानों के अध्यधीन इन नियमों के अंतर्गत रक्षोपाय गैर-भेदभाव वाले होंगे और दक्षिण एशियाई राष्ट्र संघ के सभी अन्य सदस्य देशों से आयातित वस्तुओं पर लागू होंगे।
- **13.** रक्षोपायों के प्रारम्भ की तारीख.— (1) नियम 11 के अंतर्गत लागू किए गए रक्षोपाय, इस तरह के रक्षोपाय को लागू करने वाली अधिसूचना के शासकीय राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- (2) उप-नियम (1) में विहित किसी भी बात के बावजूद, जहां कहीं एक अनंतिम रक्षोपाय लागू किया गया है और जहां कहीं महानिदेशक ने यह निष्कर्ष रिकॉर्ड किया है कि बढ़े हुए आयात से घरेलू उद्योग को गम्भीर क्षति पहुंची है अथवा क्षति पहुंचने का अंदेशा है तो इसे नियम 11 के अंतर्गत जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाएगा कि इस तरह के रक्षोपाय अनंतिम रक्षोपाय उपाय लागू किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- **14. ड्यूटी की वापसी.** यदि जांच के समाप्त होने के पश्चात किए गए रक्षोपायों के परिणामस्वरूप ड्यूटी की ऐसी दर बनती है जो कि पहले से ही किए गए अनंतिम रक्षोपाय के परिणामस्वरूप ड्यूटी की दर से कम है तो संग्रहित की गई ड्यूटी के अंतर को आयातक को वापस कर दिया जाएगा।
- **15. संक्रमण अवधि.** किसी वस्तु के संबंध में रक्षोपाय शुरू किए जाने का अधिकार उस वस्तु की संक्रमण अवधि के भीतर ही होगा और उस वस्तु की संक्रमण अवधि व्यापार करार के लागू होने की तारीख से शुरू होगी तथा टैरिफ कटौती के पूरे होने अथवा उस वस्तु के संबंध में समाप्त होने की तारीख से पांच वर्ष तक चलेगी।
- **16.** अवधि.- (1) व्यापार करार के प्रावधानों के अंतर्गत दी गई रिआयतों की समाप्ति अथवा नियम 11 के अंतर्गत उदग्रहीत किए जाने वाले रक्षोपाय केवल उस अवधि के लिए होंगे जो कि गम्भीर क्षति को रोकने अथवा समाप्त करने और समायोजन को सुकर बनाने के लिए आवश्यक हो।
- (2) उप-नियम (1) में विहित किसी भी बात के बावजूद, नियम 11 के अंतर्गत लगाए गए रक्षोपाय, जब तक उन्हें पहले वापस नहीं ले लिया जाता, आरम्भिक अवधि जो कि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, के पश्चात निष्प्रभावी हो जाएंगी :

बशर्ते यह कि केन्द्र सरकार महानिदेशक की सिफारिश प्राप्त होने के पश्चात नियम 18 के उप-नियम (1) के अंतर्गत इसतरह लागू किए जाने की अवधि को आगे एक और वर्ष के लिए बढ़ा सकती है: बशर्ते और यह भी कि किसी भी स्थिति में, रक्षोपाय उस तारीख जिसको रक्षोपाय पहली बार लागू किए गए थे, से चार वर्ष की अवधि के पश्चात जारी नहीं रहेंगे।

- (3) उप-नियम (1) और (2) में विहित किसी भी बात के बावजूद वस्तु के संबंध में रक्षोपाय की अवधि नियम 15 में यथा उपबंधित वस्तु की संक्रमण अवधि की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगी।
- (4) इन नियमों के अंतर्गत कोई भी रक्षोपाय ऐसी वस्तु के आयात पर पुन: लागू नहीं होगा जो कि इस प्रकार के उपाय के अध्यधीन ऐसी अविध के लिए है जो कि उस अविध के बराबर है जिसके दौरान इस प्रकार के उपायों को पहले लागू किया गया था, बशर्ते यह कि लागू न किए जाने की अविध कम से कम दो वर्ष हो।
- (5) उप-नियम (4) के प्रावधानों में किसी भी बात के बावजूद एक सौ अस्सी दिन अथवा इससे कम दिन की अवधि का उपाय, पुन: उत्पाद के आयात पर लागू किया जा सकता है, यदि,-
  - (क) उत्पाद के आयात के रक्षोपाय शुरू किए जाने की तारीख से कम से कम एक वर्ष बीत चुका है; और
  - (ख) इस तरह का रक्षोपाय उसी उत्पाद पर, इस उपाय के शुरू किए जाने की तारीख से तत्काल पूर्व पांच वर्ष की अविध में दो बार से अधिक बार लागू नहीं किया गया है।
- **17. रक्षोपायों का उदारीकरण.-** यदि नियम 11 के अंतर्गत लगाए गए रक्षोपायों की अवधि एक वर्ष से अधिक हो तो रक्षोपायों को इनके लगाए जाने की अवधि के दौरान नियमित अंतराल पर प्रगामी रूप से उदारीकृत किया जाएगा।
- **18. समीक्षा-** (1) महानिदेशक नियम 16 के उप-नियम (2) के प्रथम परंतुक की शर्तों के अनुसार रक्षोपायों के निरंतर लागू किए जाने की आवश्यकता की समीक्षा कर सकते हैं और यदि वे उन्हें प्राप्त सूचना के आधार पर इस बात से संतुष्ट होते हैं कि -
  - (क) रक्षोपाय गम्भीर क्षिति को रोकने अथवा इसका उपाय करने के लिए आवश्यक हैं और इस बात का साक्ष्य है कि उद्योग सकारात्मक रूप से समायोजन कर रहा है, तो वे रक्षोपायों के निरंतर लगाए जाने के लिए केन्द्र सरकार को सिफारिश कर सकते हैं;
  - (ख) ऐसे उपायों को जारी रखने के पीछे कोई औचित्य नहीं है, तो वे रक्षोपायों को वापस लिए जाने के लिए केन्द्र सरकार को सिफारिश कर सकते हैं।
- (2) नियम 4,5,6 और 10 के प्रावधान समीक्षा के मामले में यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

[फा .सं. 21000/47/2015-ओएसडी (आईसीडी)]

सत्यजीत मोहंती, निदेशक

#### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 4<sup>th</sup> March, 2016

No. 37/2016 - Customs (N.T.)

- **G.S.R. 277(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) read with sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—
- **1. Short title and commencement.** (1) These rules may be called the India-ASEAN Trade in Goods Agreement (Safeguard Measures) Rules, 2016.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- **2. Definitions.** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
  - (a) "Act" means the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);
  - (b) "critical circumstances" means circumstances in which there is clear evidence that increased imports have caused or are threatening to cause serious injury to the domestic industry and where delay in imposition of provisional safeguard measure would cause irreparable damage to the domestic industry;
  - (c) "Director General" means the Director General (Safeguard) appointed by the Central Government under sub-rule (1) of rule 3 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997;
  - (d) "domestic industry" means the producers
    - (i) as a whole of the like good or a directly competitive good in India; or
    - (ii) whose collective output of the like good or a directly competitive good in India constitutes a major share of the total production of the said good in India;
  - (e) "good" means material or product;
  - (f) "increased imports" includes increase in imports from the member State of the Association of Southeast Asian Nations, whether in absolute terms or relative to domestic production;
  - (g) "interested party" includes, -
    - (i) any exporter or producer from the member States of the Association of Southeast Asian Nations or importer of the good subjected to investigation for purposes of taking safeguard measure or a trade or business association, majority of the members of which are producers, exporters or importers of such a good;
    - (ii) the Governments of the exporting member States of the Association of Southeast Asian Nations; and
    - (iii) a producer of the like good or directly competitive good in India or a trade or business association, a majority of members of which produce or trade the like good or directly competitive good in India;
  - (h) "like good" means a good which is identical or alike in all respects to the good under investigation;
  - (i) "member State of the Association of Southeast Asian Nations" means a country mentioned in Annexure IV to the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 189/2009 Customs (N.T.), dated the 31st December, 2009, published vide number G.S.R. 937 (E), dated the 31st December, 2009 as amended from time to time;
  - (j) "serious injury" means a significant overall impairment of the domestic industry;
  - (k) "threat of serious injury" means a clear and imminent danger of serious injury on the basis of facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility; and
  - (1) "Trade Agreement" means the 'Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Republic of India and the Association of South East Asian Nations'.
- (2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and the Customs Act, 1962 (52 of 1962) shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts.
- **3. Duties of Director General.**—Subject to the provisions of these rules, it shall be the duty of the Director General, -
  - (a) to investigate the existence of serious injury or threat of serious injury to the domestic industry as a consequence of increased imports of a good into India in terms of the Trade Agreement;
  - (b) to identify the good liable for safeguard measure;

- (c) to submit his findings, provisional or otherwise, to the Central Government as to the serious injury or threat of serious injury to domestic industry consequent upon increased imports of a good from one or more member States of the Association of Southeast Asian Nations due to tariff concession under the Trade Agreement;
- (d) to recommend safeguard measure which if adopted would be adequate to prevent or remedy serious injury and to facilitate adjustment;
- (e) to recommend the duration of the safeguard measure and where the period so recommended is more than a year, to recommend progressive liberalisation adequate to facilitate adjustment;
- (f) to review the need for continuation of a safeguard measure.
- **4. Initiation of investigation.** (1) Except as provided in sub-rule (4), the Director General shall, on receipt of a written application by or on behalf of the domestic producer of like good or directly competitive good, initiate an investigation to determine the existence of serious injury or threat of serious injury to the domestic industry, caused by increased imports of a good due to tariff concession under the Trade Agreement.
- (2) An application under sub-rule (1) shall be made in the form as may be specified by the Director General in this behalf and such application shall be supported by,-
  - (a) evidence of -
  - (i) increased imports;
    - (ii) serious injury or threat of serious injury to the domestic industry;
    - (iii) a causal link between imports and the alleged serious injury or threat of serious injury;
    - (iv) the reduction or elimination of a customs duty under the Trade Agreement being a cause which contributes significantly to the increase in imports and such increase in imports alone constitutes a substantial cause of serious injury to domestic industry:

Provided that the cause of reduction or elimination of a customs duty under the Trade Agreement need not be equal to or greater than any other cause; and

- (b) a statement on the efforts being made, or planned to be made, or both, to make an adjustment to import competition.
- (3) The Director General shall not initiate an investigation pursuant to an application made under sub-rule (1) unless he examines the accuracy and adequacy of the evidence provided in the application and satisfies himself that there is sufficient evidence regarding-
  - (a) increased imports;
  - (b) serious injury or threat of serious injury;
  - (c) a causal link between imports and the alleged serious injury or threat of serious injury; and
  - (d) the reduction or elimination of a customs duty under the Trade Agreement being a cause which contributes significantly to the increase in imports and such increase in imports alone constitutes a substantial cause of serious injury to domestic industry:

Provided that the cause of reduction or elimination of a customs duty under the Trade Agreement need not be equal to or greater than any other cause.

- (4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Director General may initiate an investigation *suo motu* if he is satisfied with the information received from any Commissioner of Customs appointed under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) or any other source that sufficient evidence exists as referred to in clause (a), clause (b), clause (c) and clause (d) of sub-rule (3).
- **5. Principles governing investigation.—** (1) The Director General shall, after he has decided to initiate investigation to determine the serious injury or threat of serious injury to domestic industry, consequent upon the increased imports of a good into India on account of tariff concession under the Trade Agreement, issue a

public notice notifying his decision thereto and the public notice shall, *inter alia*, contain adequate information on the following, namely:-

- (a) the name of the exporting countries and the good involved;
- (b) the date of initiation of the investigation;
- (c) a summary statement of the facts on which the allegation of serious injury or threat of serious injury is based;
- (d) reasons for initiation of the investigation;
- (e) the address to which representations by interested parties should be directed; and
- (f) the time-limits allowed to interested parties for making their views known through appropriate representation.
- (2) The Director General shall forward a copy of the public notice to -
  - (a) the Central Government in the Ministry of Commerce and other Ministries concerned, as he deems fit;
  - (b) known exporters of the good, the increased imports of which have been alleged to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry;
  - (c) the Governments of the exporting State and all other member States of the Association of Southeast Asian Nations; and
  - (d) other interested parties, as he deems fit.
- (3) The Director General shall also provide a copy of the application referred to in sub-rule (1) of rule 4 to -
  - (a) the known exporters, or the concerned trade associations;
  - (b) the Governments of the exporting State and all other member States of the Association of Southeast Asian Nations; and
  - (c) the Central Government in the Ministry of Commerce:

Provided that the Director General shall also make available a copy of the application, upon request in writing, to any other interested party.

(4) The Director General may issue a notice, calling for any information in such form as may be specified by him from the exporters, foreign producers and Governments of member States of the Association of Southeast Asian Nations and such information shall be furnished by such persons and Governments in writing within thirty days from the date of receipt of the notice or within such extended period as the Director General may allow on sufficient cause being shown.

Explanation.— For the purpose of this rule, the public notice and other documents shall be deemed to have been received one week after the date on which these documents were sent by the Director General by registered post or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country.

- (5) The Director General may also provide opportunity to the industrial users of the good under investigation and to representative consumer organisations in cases where the good is commonly sold at retail level to furnish information which is relevant to the investigation.
- (6) The Director General may allow an interested party or its representative to present the information relevant to investigation orally but such oral information shall be taken into consideration by the Director General only when it is subsequently submitted in writing.
- (7) The Director General shall make available the evidence presented to him by one interested party to the other interested parties, participating in the investigation.
- (8) In case where an interested party refuses access to or otherwise does not provide necessary information within the period specified by the Director General or significantly impedes the investigation, the Director General may record his findings on the basis of the facts available to him and make such recommendations to the Central Government as he deems fit under such circumstances.

- (9) Safeguard measure under these rules shall not be applied against a good originating in the territory of the member State of the Association of Southeast Asian Nations so long as its share of imports of the good concerned in India does not exceed three per cent. of the total imports of that good from the other member States of the Association of Southeast Asian Nations.
- **6. Confidential information.**—(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (3) and (7) of rule 5, sub-rule (2) of rule 8 and sub-rule (5) of rule 10, any information which is by nature confidential or which is provided on a confidential basis shall, upon cause being shown, be treated as such by the Director General and shall not be disclosed without specific authorisation of the party providing such information.
- (2) The Director General may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of the party providing such information, such information cannot be summarised, such party may submit to the Director General a statement of reasons why summarisation is not possible.
- (3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the Director General is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is unwilling either to make the information public or to authorise its disclosure in a generalised or summary form, he may disregard such information unless it is demonstrated to his satisfaction from appropriate sources that such information is correct.
- **7. Determination of serious injury or threat of serious injury.** The Director General shall determine serious injury or threat of serious injury to the domestic industry taking into account, *inter alia*, the following principles, namely:-
  - (a) the Director General shall evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry, in particular, the rate and amount of the increase in imports of the good concerned in absolute and relative terms, the share of the domestic market taken by increased imports, changes in the level of sales, production, productivity, capacity utilisation, profits and losses and employment; and
  - (b) the determination referred in clause (a) shall not be made unless the investigation demonstrates, on the basis of objective evidence, the existence of the causal link between increased imports of the good concerned under the Trade Agreement and serious injury or threat thereof and when factors other than increased imports are causing injury to the domestic industry at the same time, such injury shall not be attributed to increased imports.
- **8. Preliminary findings.** (1) The Director General shall proceed expeditiously with the conduct of the investigation and in critical circumstances may record a preliminary finding regarding serious injury or threat of serious injury.
- (2) The Director General shall issue a public notice regarding his preliminary findings and send a copy of the public notice to -
  - (a) the Central Government in the Ministry of Commerce and in the Ministry of Finance;
  - (b) the Governments of the exporting State and all other member States of the Association of Southeast Asian Nations.
- **9. Application of provisional safeguard measures.** (1) The Central Government, on the basis of the preliminary findings of the Director General, may -
  - (a) suspend further reduction of any rate of customs duty on the good provided for under the Trade Agreement; or
  - (b) increase the rate of customs duty on the good concerned to a level not to exceed the lesser of the Most Favoured Nation applied rate on the good in effect at the time when the safeguard measure is taken, or the Most Favoured Nation applied rate on the good in effect on the day immediately preceding the date of entry into force of the Trade Agreement.
- (2) The safeguard measure under sub-rule (1) shall remain in force only for a period not exceeding two hundred days from the date on which it was imposed.

- **10. Final findings.**–(1) The Director General shall, within eight months from the date of initiation of the investigation, or within such extended period as the Central Government may allow, determine whether, -
  - (a) the increased imports of the good under investigation has caused or threatened to cause serious injury to the domestic industry; and
  - (b) a causal link exists between the increased imports due to tariff concession under the Trade Agreement and serious injury or threat of serious injury.
- (2) The Director General shall also give his recommendations regarding safeguard measures which would be adequate to prevent or remedy serious injury and to facilitate adjustment.
- (3) The Director General shall also make his recommendations regarding the duration of the safeguard measure:

Provided that where the period recommended is more than one year, the Director General shall also recommend progressive liberalisation adequate to facilitate adjustment.

- (4) The final findings, if affirmative, shall contain all information on the matter of facts and law and reasons which have led to the conclusion.
- (5) The Director General shall issue a public notice recording his final findings.
- (6) The Director General shall send a copy of the public notice regarding his final findings to -
  - (a) the Central Government in the Ministry of Commerce and in the Ministry of Finance;
  - (b) the Governments of the exporting State and all other member States of the Association of Southeast Asian Nations.
- **11. Application of safeguard measure.** (1) On receipt of the recommendation of the Director General, in order to prevent or remedy serious injury and to facilitate adjustment in respect of the good covered under the final findings, the Central Government may suitably amend the notification, issued under sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) to give effect to the provisions of the Trade Agreement, so as to -
  - (a) suspend further reduction of any rate of customs duty provided for under the Trade Agreement on the good; or
  - (b) increase the rate of customs duty on the good concerned to a level not to exceed the lesser of the Most Favoured Nation applied rate on the good in effect at the time when the safeguard measure is taken, or the Most Favoured Nation applied rate on the good in effect on the day immediately preceding the date of entry into force of the Trade Agreement.
- (2) No safeguard measure under these rules may be imposed in respect of a good to which actions are being applied pursuant to sub-section (1) of section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 and in the event of a safeguard duty being imposed in respect of a good under sub-section (1) section 8B of the Customs Tariff Act, 1975, any existing safeguard measure which has been imposed under these rules in respect of that good shall be terminated prior to the imposition of the action to be applied pursuant to sub-section (1) of section 8B of the Customs Tariff Act, 1975.
- (3) In case, the final finding of the Director General is contrary to the prima facie evidence on whose basis the investigation was initiated and the final finding does not have recommendation for applying safeguard measures, the Central Government shall within thirty days of the publication of final findings by the Director General under rule 10, withdraw the provisional safeguard measures imposed, if any.
- **12. Imposition of safeguard measures on non-discriminatory basis.**—Subject to the provisions of subrule (9) of rule 5, safeguard measures under these rules shall be non-discriminatory and applicable to the good imported from all other member States of the Association of Southeast Asian Nations.
- **13. Date of commencement of safeguard measure.**—(1) The safeguard measure applied under rule 11 shall take effect from the date of publication of the notification, in the Official Gazette, imposing such safeguard measure.
- (2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), where a provisional safeguard measure has been imposed and where the Director General has recorded a finding that increased imports have caused or threaten

to cause serious injury to domestic industry, it shall be specified in the notification issued under rule 11 that such safeguard measure shall take effect from the date of imposition of the provisional safeguard measure.

- **14. Refund of duty.**—If the safeguard measure taken after the conclusion of the investigation results in a rate of duty which is lower than the rate of duty resulting from a provisional safeguard measure already taken, the differential duty collected shall be refunded to the importer.
- **15. Transition period.**—The right to initiate a safeguard measure on a good shall be within the transition period for that good and the transition period for a good shall begin from the date of entry into force of the Trade Agreement and end five years from the date of completion of tariff reduction or elimination for that good.
- **16. Duration.**–(1) The suspension of the concessions granted under the provisions of the Trade Agreement or the safeguard measure levied under rule 11 shall be only for such period of time as may be necessary to prevent or remedy serious injury and to facilitate adjustment.
- (2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) safeguard measure levied under rule 11 shall, unless revoked earlier, cease to have effect after an initial period not exceeding three years:

Provided that the Central Government may, on receipt of the recommendations of the Director General under sub-rule (1) of rule 18, extend the period of such imposition for a further period of one year:

Provided further that in no case the safeguard measure shall continue to be imposed beyond a period of four years from the date on which such safeguard measure was first imposed.

- (3) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) and (2), the duration of safeguard measure on the good shall terminate at the end of the transition period for that good as provided in rule 15.
- (4) No safeguard measure under these rules shall be applied again to the import of a good which has been subject to such a measure, for a period of time equal to that during which such measure had been previously applied, provided that the period of non-application is at least two years.
- (5) Notwithstanding the provisions of sub-rule (4), a measure with a duration of one hundred and eighty days or less may be applied again to the import of a product if,-
  - (a) at least one year has elapsed since the date of introduction of a safeguard measure on the import of that product; and
  - (b) such a safeguard measure has not been applied on the same product more than twice in the five-year period immediately preceding the date of introduction of the measure.
- 17. Liberalisation of safeguard measure.—If the duration of the safeguard measure levied under rule 11 exceeds one year, the safeguard measure shall be progressively liberalised at regular intervals during the period of its imposition.
- **18. Review.–**(1) The Director General may review the need for continued application of the safeguard measure in terms of the first proviso to sub-rule (2) of rule 16 and, if he is satisfied on the basis of information received by him that
  - (a) the safeguard measure is necessary to prevent or remedy serious injury and there is evidence that the industry is adjusting positively, he may recommend to the Central Government for the continued imposition of safeguard measure;
  - (b) there is no justification for the continued imposition of such measure, recommend to the Central Government for its withdrawal.
- (2) The provisions of rules 4, 5, 6 and 10 shall *mutatis mutandis* apply in the case of review.

[F. No. 21000/47/2015-OSD(ICD)] SATYAJIT MOHANTY, Director